

CHAPTER - VIII
ACCOUNTS AND RECORDS

Section 35 : Accounts and other records

- (1) Every registered person shall keep and maintain, at his principal place of business, as mentioned in the certificate of registration, a true and correct account of—
- (a) production or manufacture of goods;
 - (b) inward and outward supply of goods or services or both;
 - (c) stock of goods;
 - (d) input tax credit availed;
 - (e) output tax payable and paid; and
 - (f) such other particulars as may be prescribed:
- Provided** that where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such places of business:
- Provided further** that the registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic form in such manner as may be prescribed.
- (2) Every owner or operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods and every transporter, irrespective of whether he is a registered person or not, shall maintain records of the consigner, consignee and other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed.
- (3) The Commissioner may notify a class of taxable persons to maintain additional accounts or documents for such purpose as may be specified therein.
- (4) Where the Commissioner considers that any class of taxable persons is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with the provisions of this section, he may, for reasons to be recorded in writing, permit such class of taxable persons to maintain accounts in such manner as may be prescribed.
- (5) ¹[****]

¹ Sub-section (5) omitted by the Finance Act, 2021 (No. 13 of 2021). It is made effective from 01-08-2021 by Noti. No. 29/2021–Central Tax, dt. 30-07-2021. Earlier to omission it read as under:

"(5) Every registered person whose turnover during a financial year exceeds the prescribed limit shall get his accounts audited by a chartered accountant or a cost accountant and shall submit a copy of the audited annual accounts, the reconciliation statement under sub-section (2) of section 44 and such other documents in such form and manner as may be prescribed."

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (6) Subject to the provisions of clause (h) of sub-section (5) of section 17, where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of sub-section (1), the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods or services or both had been supplied by such person and the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, shall, *mutatis mutandis*, apply for determination of such tax.
-

^A**Provided** that nothing contained in this sub-section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.]"

A. Proviso inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

अध्याय 8

लेखा और अभिलेख

धारा 35 : लेखा और अन्य अभिलेख

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यथावर्णित अपने कारबार के मूल स्थान पर—

- (क) माल के उत्पादन और विनिर्माण;
- (ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति;
- (ग) माल का स्टॉक;
- (घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय;
- (ङ.) संदेय और संदत्त आउटपुट कर; और
- (च) ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाएं,

का सत्य और शुद्ध लेखा रखेगा और उसे अनुरक्षित रखेगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में कारबार के एक से अधिक स्थान विनिर्दिष्ट हैं, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखा कारबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसा लेखा और अन्य विशिष्टियां इलैक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रख सकेगा और उन्हें अनुरक्षित रख सकेगा।

- (2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाए गए किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती के अभिलेख और माल के ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे रखेगा, जो विहित किए जाएं।
- (3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग अधिसूचित कर सकेगा, जो अतिरिक्त लेखा या दस्तावेज बनाए रखेंगे।
- (4) जहां आयुक्त यह समझता है कि कराधेय व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखा रखने और अनुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लेखा अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।
- (5) ¹[.....]
- (6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अधधीन, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

¹ वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (5) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 29/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 30.07.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.08.2021 से प्रभावशील किया गया।

विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक जाता है, अपने लेखा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज, ऐसे प्रारूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

A[परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन है।"

A सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा परंतुक अंतः स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीयकर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

भाग-I

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में असफल रहता है, वहां उचित अधिकारी ऐसे माल या सेवाओं या दोनों पर, जिनका लेखा नहीं दिया गया है, संदेय कर की रकम इस प्रकार अवधारित करेगा, मानो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
